न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 935–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–9–14 पारित द्वारा नायब तहसीलदार बडवाह जिला खरगोन प्रकरण कमांक 2/बी–13/2012–13.

—

1–नवलसिंह पुत्र बालाजी राजपूत
2–गणपतिसिह पुत्र नवलसिंह राजपूत
निवासीगण पिढायबुजुर्ग,
तहसील बडवाह जिला खरगोन म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–सुमनबाई पत्नी खुमानसिंह राजपूत
2–कल्याणसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
निवासीगण बेलम बुजुर्ग तहसील बडवाह
जिला खरगोन म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एल.एस.धाकड, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/4/2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील बडवाह जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 18–9–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार बडवाह जिला खरगोन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि

अनावेदक कमांक 1 के भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बेलम बुजुर्ग तहसील बडवाह स्थित भूमि सर्वे कमांक 25/3 रकबा 1.636 हेक्टेयर है । इसी प्रकार सर्वे कमांक 25/7 रकबा 0.809 हेक्टर अनावेदक कमांक 2 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । अनावेदकगण अपनी भूमि पर जाने हेतु आवेदकगण की मेढ़ से स्थित रास्ते का उपयोग करते थे । लगभग 1 माह पूर्व से आवेदकगण द्वारा मेढ़ तोडकर रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर दिया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का अनुरोध भी किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/2012–13 दर्ज कर दिनांक 18–9–2014 से अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदकगण को उनकी भूमि पर जाने के लिये सर्वे कमांक 27/2 की उत्तरी मेढ़ से 8 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा उनके स्वामित्व की भूमियॉ पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और विकय पत्र में रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसका वे उपयोग कर सकते हैं, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की भूमि में से अनावेदकगण को रास्ता देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को अपनी भूमि पर आने–जाने के लिये कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से अनावेदकगण को रास्ता उपलब्ध कराने में वैधानिक एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में रास्ता होना व रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कराना पाया गया है, इसलिये अंतरिम रूप से तहसीलदार द्वारा रास्ता उपलब्ध कराने में न्यायिक कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को अभी

अंतरिम रूप से रास्ता दिया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी बलहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया गया है और मौके पर प्रश्नाधीन रास्ता होकर उसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर अंतरिम आदेश पारित करते हुये प्रकरण के निराकरण तक अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमिता नहीं की गई है, इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है जहॉ आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, और वे साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित कर सकते है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील बडवाह जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 18–9–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर